भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1576 #

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना

1576 # श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जिबिशन (एमआईसीई) पर्यटन पारितंत्र को मजबूत करने के लिए शहर-स्तरीय कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य और विस्तार क्या हैं;

(ख) ऐसे ब्यूरो की स्थापना के लिए चिह्नित या प्रस्तावित शहरों का ब्यौरा क्या है और उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) राज्य सरकारों, शहर प्राधिकरणों और उद्योग हितधारकों के साथ परिकल्पित संस्थागत ढांचा और समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये ब्यूरो वैश्विक व्यापार और कन्वेंशन पर्यटन में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और गंतव्यो के विकास और प्रचार की जिम्मेदारी, जिसमें एमआईसीई पर्यटन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है।

हालांकि, विभिन्न शहरी स्थलों पर एमआईसीई के हिस्से के विकास को गति प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को शहर में एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो स्थापित करने के लिए परिचालित किया गया है।

शहर-आधारित एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना का लक्ष्य शहर में एमआईसीई उद्योग को सहायता देने, बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है।

दिशा-निर्देशों की एक प्रति **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर और श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े द्वारा कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1576 # के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

शहरी एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना के लिए मॉडल दिशानिर्देश

विषय

1. पृष्ठभूमि

1.1 एमआईसीई उद्योग के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप 3
1.2 राष्ट्रीय रणनीति के प्रमुख स्तंभ 3
1.3 भारत की जी20 अध्यक्षता 3
1.4 शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो (सीएमपीबी) की स्थापना 3

2. सीएमपीबी की स्थापना के लिए शहरों को प्राथमिकता देना 3

3. सीएमपीबी का लक्ष्य और उद्देश्य 4

4. सीएमपीबी के कार्य 4

5. सीएमपीबी की संरचना 5

5.1. सीएमपीबी एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में होगी 5
5.2. सीएमपीबी एसपीवी के रूप में होगी 5
5.3. बोर्ड का गठन और सीएमपीबी के अध्यक्ष 5
5.4. सीएमपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 5
5.5. उद्योग सलाहकार समिति 6
5.6. एसपीवी के लिए निधि 6

6. सीएमपीबी का व्यावसायिक स्टाफिंग 6

6.1. प्रबंधक - विपणन और बिजनेस इंटेलिजेंस 6
6.2. प्रबंधक - बोलियां 6
6.3. प्रबंधक - गंतव्य 6
6.4. अन्य सहायक कर्मचारी 7

7. सीएमपीबी द्वारा एमआईसीएस कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं को लागू करना 7

एमआईसीई ब्यूरो की स्थापना के लिए मॉडल दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 एमआईसीई उद्योग के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

पर्यटन मंत्रालय ने भारत को वैश्विक एमआईसीई गंतव्य और वृहत सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से एमआईसीई उद्योग (www.tourism.gov.in पर उपलब्ध) के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य एमआईसीई उद्योग के विकास के लिए केंद्र, राज्य और शहर के स्तर पर सक्षम परिस्थितियों एवं संस्थागत कार्यढांचे का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य एमआईसीई व्यवसाय में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी को काफी हद तक बढ़ाना है।

1.2 राष्ट्रीय रणनीति के प्रमुख स्तंभ

राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप ने देश में एमआईसीई उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख रणनीतिक स्तंभों की पहचान की है:

(i) एमआईसीई के लिए संस्थागत सहायता
(ii) एमआईसीई के लिए इको-प्रणाली का विकास करना
(iii) भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना
(iv) एमआईसीई कार्यक्रमों के लिए व्यापार में आसानी बढ़ाना
(v) एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत का विपणन
(vi) एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास

1.3 भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता

भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व रुचि पैदा की है। इसने दुनिया के सामने भारत की सुदृढ़ एमआईसीई अवसंरचना और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित किया है। पर्यटन मंत्रालय इसे आगे बढ़ाने और भारत को एमआईसीई में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में सुदृढ़ता से स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

1.4 शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो (सीएमपीबी) की स्थापना

विभिन्न शहरी स्थलों पर एमआईसीई खंड के विकास को गति प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा उन प्रमुख शहरों में शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, जहां एमआईसीई की संभावना है।

2. सीएमपीबी की स्थापना के लिए शहरों को प्राथमिकता देना

राष्ट्रीय रणनीति के अध्याय 5 में विकास के लिए प्राथमिकता दिए जाने वाले एमआईसीई गंतव्यों की एक सांकेतिक सूची दी गई है। तदनुसार राज्य अपने शहरों को एमआईसीई उद्योग के लिए राष्ट्रीय रणनीति से जुड़े **अनुबंध**-1 में दिए गए पूर्ण मापदंडों के आधार पर सीएमपीबी की स्थापना को प्राथमिकता दे सकते हैं

(i) सुगम पहुंच
(ii) स्थानीय सहयोग
(iii) स्थानीय आकर्षण
(iv) आवासीय सुविधा
(v) बैठकों की सुविधाएं
(vi) सूचना
(vii) स्थल पर्यावरण
(viii) अन्य कारक

3. सीएमपीबी का लक्ष्य और उद्देश्य

शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना का उद्देश्य शहर में एमआईसीई उद्योग को सुविधाजनक बनाने, इसका संवर्धन और विकास करने के लिए एक आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) आगंतुक और एमआईसीई कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाकर शहर को एक पसंदीदा एमआईसीई गंतव्य बनाना, जो शहर के सतत आर्थिक विकास और विकास को गति देगा;
(ii) एमआईसीई उद्योग के लिए एक रणनीतिक दिशा निर्धारित करें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहर की प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करें;
(iii) विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में शहर को बढ़ावा देकर शहर की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना;

4. सीएमपीबी के कार्य

शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो एमआईसीई उद्योग और शहर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए एक आधिकारिक नोडल एजेंसी होगी। ब्यूरो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा:

(i) शहर को प्रमुख एमआईसीई गंतव्य के रूप में स्थापित करना - शहर में सम्मेलनों, समागमों और कार्यक्रमों का परिवेश बनाना
(ii) शहरव्यापी प्रभाव के साथ एमआईसीई कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा प्रदान करना और मेहमानों और प्रतिनिधियों के लिए सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना और दोहराए जाने वाले आयोजनों की क्षमता में वृद्धि करना।
(iii) संभावित व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना और हितधारकों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के लिए लीड उत्पन्न करना
(iv) शहर के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए हितधारकों/पीईओ/पीसीओ/गंतव्य प्रबंधन कंपनियों के साथ काम करना
(v) सरकार और उद्योग की साझेदारी को बढ़ावा देना

(vi) अंतर्दृष्टि/आसूचना पैदा करने के लिए एमआईसीई इवेंट्स व्यवसाय का सांख्यिकीय विश्लेषण करना, जो भविष्य के व्यवसाय के लिए पाइपलाइन विकसित करने में मदद करता है

(vii) डेटा संग्रह और निगरानी उद्योग के रुझान - सम्मेलन गंतव्य के रूप में शहर की अपील में लगातार सुधार करने के लिए पिछले कार्यक्रमों की सफलता, भाग लेने वालों की प्रतिक्रिया और उद्योग के रुझानों से संबंधित डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना

(viii) उद्योग के रुझानों, तकनीकी प्रगति और तदनुसार प्रचार रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए इवेंट प्लानिंग प्राथमिकताओं में बदलाव के बारे में जानकारी रखना

5. सीएमपीबी की संरचना

5.1. सीएमपीबी एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी होगी

शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के रूप में की जाएगी। एमआईसीई योजना, विकास और प्रबंधन में शामिल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियां और यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एमआईसीई उद्योग संगठन का हिस्सा होंगी।

5.2. सीएमपीबी एसपीवी के रूप में

शहरी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) हो सकता है, जिसे पर्यटन के प्रभारी प्रशासनिक विभाग के तहत राज्य सरकारों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जा सकता है।

5.3. बोर्ड का गठन और सीएमपीबी के अध्यक्ष

राज्य सरकारें संबंधित सरकारी विभागों और संगठनों, विशेष रूप से जिला प्रशासन, नगर निगम, पर्यटन, पुलिस आदि के प्रतिनिधित्व के साथ सीएमपीबी के बोर्ड का गठन कर सकती हैं।

इसके अलावा, सीएमपीबी का अध्यक्ष राजधानी वाले शहरों के मामले में पर्यटन का प्रभारी प्रशासनिक सचिव हो सकता है, जबकि अन्य शहरों के लिए, अध्यक्ष नगर आयुक्त या जिला कलेक्टर हो सकता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

5.4. सीएमपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सीएमपीबी में एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्यूरो के कार्यकारी प्रमुख होंगे और टीम के समग्र प्रबंधन, कर्मचारियों की भर्ती, दिन-प्रतिदिन के संचालन की समीक्षा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। वह सरकार, उद्योग, विदेशी बोर्डों, उद्योग संघों के साथ नेटवर्क बनाएंगे। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी जाएंगी। वह अध्यक्ष और बोर्ड को प्रगति की रिपोर्ट देगा।

5.5. उद्योग सलाहकार समिति

सीएमपीबी के पास सीईओ की अध्यक्षता में एक उद्योग सलाहकार समिति होगी, जिसमें एमआईसीई उद्योग के सदस्य जैसे एमआईसीई स्थल, होटल, एयरलाइंस और सम्मेलन आयोजक, प्रमुख व्यापारिक नेता और अन्य शामिल होंगे। उद्योग सलाहकार समिति शहर को एमआईसीई गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों के संबंध में ब्यूरो को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगी।

5.6. एसपीवी के लिए निधि

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एसपीवी को धन के निम्नलिखित स्रोत प्रदान कर सकती हैं:
(i) केंद्र, राज्य और शहर सरकारों से बंधित और गै-बंधित अनुदान
(ii) उद्योग हितधारकों से अंशदान और सदस्यता शुल्क, जैसा कि समय-समय पर तय किया जा सकता है,
(iii) अन्य संसाधन, जिन्हें एसपीवी द्वारा जुटाया जा सकता है

6. सीएमपीबी का व्यावसायिक स्टाफिंग

सीएमपीबी का प्रबंधन पूर्णकालिक पेशेवरों द्वारा किया जाएगा। स्टाफिंग अलग-अलग ब्यूरो में भिन्न हो सकती है और शहर के आकार, संभावित एमआईसीई व्यवसाय, उपलब्ध निधियों आदि के आधार पर तय की जाएगी। सीईओ के पद (दिशानिर्देशों के 5.4 को देखें) के अलावा, प्रत्येक सीएमपीबी में न्यूनतम तीन प्रबंधक और अपेक्षित सहायक कर्मचारी होंगे। तीन प्रबंधकों की सांकेतिक भूमिकाएं नीचे दी गई हैं:

6.1. प्रबंधक- विपणन एवं व्यवसाय संबंधी इंटेलिजेंस

वह शहर को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में विपणन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह शहर के लिए मार्केटिंग प्लान तैयार करेंगे। वह स्थानों, पीसीओ, प्रमुख संघों और अन्य व्यावसायिक आसूचना एकत्र करेंगे।

वह बोली लगाने, प्रतियोगिता की ताकत और कमजोरी को मापेंगे, स्थानों के एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण और पीईओ और पीसीओ के उचित परिश्रम के लिए संभावित एमआईसीई घटनाओं को ट्रैक करेंगे।

6.2. प्रबंधक - बोलियां

वह प्रबंधक- विपणन एवं व्यवसाय संबंधी इंटेलिजेंस के साथ समन्वय में बोलियों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.3. प्रबंधक - गंतव्य

वह पीसीओ, पीईओ, डीएमसी, टीओ के पैनल बनाने और मेजबानों/प्रायोजकों/शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार होगा। उसके पास इवेंट व्यवसाय उत्पन्न करने का मासिक लक्ष्य होगा।

6.4. अन्य सहायक कर्मचारी

विभिन्न मानव संसाधन और वित्त संबंधी कार्यों के लिए अन्य सहायक कर्मचारी और कर्मचारी होंगे, जिन्हें ब्यूरो की आवश्यकता के अनुसार तय किया जा सकता है।

7. सीएमपीबी एमआईसीई आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं को लागू करेगा

शहर को एमआईसीई गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के अलावा, सीएमपीबी कार्यक्रम आयोजकों को प्रत्यक्ष मौद्रिक अनुदान या अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान करने वाली अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिसमें स्थल संबंधी छूट, नागरिक अभिनंदन के लिए वित्तपोषण, परिवहन लागत का कवरेज और विपणन या प्रायोजन में योगदान के रूप में समर्थन शामिल हो सकता है।

सीपीएमबी एमआईसीई कार्यक्रमों को आकर्षित करने के लिए अनुदान योजनाओं के लिए स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ लगातार संर्पक में रहेगा।

****